

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 202-अ]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 1 जून 2019 — ज्येष्ठ 11, शक 1941

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 1 जून 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-53/2017/सात-1 . — छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक -20 सन् 1959) की धारा 67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1), (2), (3) तथा (5) में क्रमशः उल्लिखित जिला, तहसील, राजस्व निरीक्षक मंडल तथा ग्राम के तत्स्थानी कॉलम (6) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र का राजस्व सर्वेक्षण संक्रिया प्रारंभ किया जायेगा तथा उक्त क्षेत्र, उक्त धारा के अधीन राजस्व सर्वेक्षण संक्रिया के बंद किये जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना के अधिसूचित किये जाने तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन होंगे, अर्थात्:-

जिले का नाम	तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल	क्र.	राजस्व सर्वेक्षण प्रारम्भ करने का क्षेत्र	प. ह. नं.	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
दुर्ग	पाटन	-	1	पतौरा	26	अत्यधिक बंदोबस्त त्रुटि होने के कारण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मला लकड़ा, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 1st June 2019

NOTIFICATION

No. F 11-53/2017/seven-1. — In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 67 of the Chhattisgarh Land Revenue Code 1959, (No. 20 of 1959), The State Government, hereby, declares that initiate the revenue survey operations of the area specified in column (6) in the schedule below, corresponding to District, Tehsil, R. I. Circle and Village mentioned in column (1), (2), (3) and (5) respectively, shall be made and said area shall be held to be under such survey till the notification declaring the revenue survey operation to be closed, is notified under the said Section, *namely :-*

District Name (1)	Tehsil Name (2)	RI Circle Name (3)	S. No. (4)	Name of Village (5)	P. H. No. (6)	Remarks (7)
Durg	Patan	-	1	Patora	26	Due to Settlement Error

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
CARMELA LAKRA, Deputy Secretary.